



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 583) पटना, बुधवार, 10 जून 2026

सं० 07-सू०प्रा०-36/2007 (खण्ड-2)—1045

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

9 जून 2026

विषय : राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/निकायों/बोर्डों इत्यादि में क्रियान्वित ई-क्रय 2.0 प्रणाली से संबंधित निविदा शुल्क में पुनरीक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निविदा शुल्क का निर्धारण।

[Regarding revision of tender fees and fixation of tender fee for International tenderer under the e-procurement 2.0 system implemented across all departments / corporations / bodies / boards etc. of the State Government]

राज्य सरकार ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, निविदा निष्पादन में विलंब की समस्या को दूर करने, अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावनाओं को समाप्त करने तथा क्रय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या- सह-ज्ञापांक-752 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू किया गया।

उक्त संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में ई-क्रय (e-Procurement) प्रणाली का क्रियान्वयन नोडल एजेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के सभी खरीदारी हेतु 131 से अधिक विभाग, निगम, निकाय, बोर्ड आदि सरकारी संस्थानों में ई-क्रय प्रणाली (e-Tendering / e-procurement system) लागू है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

- 131 से अधिक विभागों, निगमों, निकायों और बोर्डों में ई-क्रय 2.0 प्रणाली लागू है।
- भुगतान (Tender Fee, Tender Processing Fee, EMD) की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- EMD केवल ऑनलाइन या बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य है।
- अस्वीकृत निविदाओं का EMD स्वतः रिफंड हो जाता है; विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर मैनुअल प्रक्रिया भी संभव है।
- निविदा शुल्क जमा होने के बाद यदि निविदा समर्पित नहीं की जाती, तो टेंडर खुलने के बाद शुल्क वापस किया जाता है।
- सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प सं०-752 दिनांक 21.08.2020 के आलोक में वर्णित कार्य के सुगम संचालन के दृष्टिपथ पर निगम स्तर पर एक बैंक अकाउंट क्रियाशील है। इस हेतु विभागों

द्वारा कोई खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त खाता के संचालन एवं राशि वापसी की प्रक्रिया हेतु पेमेंट सर्विस को अधिकृत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि ई-क्रय 2.0 से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का वहन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा किया जाता है। चूँकि वर्तमान शुल्क प्रणाली के आधार पर प्राप्त राशि विगत 5 वर्षों से चली आ रही है जो अल्प है, अतएव शुल्क पुनरीक्षण की आवश्यकता है।

3. विदित हो कि दिनांक 01.08.2025 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को निदेशक पक्ष की 160वीं बैठक में ई-क्रय 2.0 से संबंधित निविदा शुल्क संशोधन के प्रस्ताव को Apex Committee से स्वीकृति लेने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में दिनांक 18.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ई-क्रय के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित Apex Committee की बैठक में ई-क्रय प्रणाली में हुए विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर ई-निविदा के विभिन्न शीर्षों के विरुद्ध प्राप्त किए जाने वाले शुल्कों की राशि में पुनरीक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निविदा शुल्क के निर्धारण की अनुशंसा प्रदान की गयी है।

4. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/निकायों/बोर्डों इत्यादि में क्रियान्वित ई-क्रय 2.0 प्रणाली से संबंधित निविदा शुल्क में पुनरीक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निविदा शुल्क के निर्धारण का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है :-

(क) निविदा निष्पादन शुल्क (TPF) :

क्र० सं०	निविदा मूल्य	वर्तमान शुल्क	पुनरीक्षित शुल्क
1.	70 लाख तक	रु० 500.00 + टैक्स	रु० 1000.00 + टैक्स
2.	70 लाख - 3 करोड़ तक	रु० 3000.00 + टैक्स	रु० 5,000.00 + टैक्स
3.	3 करोड़ से अधिक	रु० 5,000.00 + टैक्स	रु० 10,000.00+टैक्स

(ख) निविदाकार निबंधन शुल्क (राष्ट्रीय स्तर) :

क्र० सं०	निबंधन का प्रकार	वर्तमान शुल्क	पुनरीक्षित शुल्क
1.	नया	रु० 1,000.00+ टैक्स	रु० 2,000.00+ टैक्स
2.	नवीकरण	रु० 500.00 + टैक्स	रु० 1,000.00+ टैक्स

(ग) निविदाकार निबंधन शुल्क (अंतर्राष्ट्रीय स्तर) :

क्र० सं०	निबंधन का प्रकार	शुल्क
1.	नया	रु० 15,000.00 + टैक्स
2.	नवीकरण	रु० 5,000.00 + टैक्स

(घ) अंतर्राष्ट्रीय निविदाकारों हेतु निष्पादन शुल्क :

क्र० सं०	निविदा का प्रकार	शुल्क
1.	अंतर्राष्ट्रीय	रु० 25,000.00 + टैक्स

5. उक्त योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा किया जाएगा।

6. संकल्प के प्रस्ताव में दिनांक 08.06.2026 को मद संख्या-19 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 583-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>